

**\*1. RERA CASE UPDATES – KRIPA SHANKAR SINGH & Ors.\***

The date of Hearing in the above case was on 16-Jan-2024. Adv. R.K. Gupta appeared on behalf of ARM before the Execution Court (RERA) and next date of hearing has been fixed on 19-Mar-2024.

**\*2. VINOD Kr. AGGARWAL vs. V.K. OJHA CASE\***

The case will be heard on 24-Jan-2024 in the Delhi High Court. In the last date, the replies from both the parties (Vinod Kr. Aggarwal & President, Revanta MS CGHS Ltd.) was sought by the Delhi High Court. However, neither Revanta MS CGHS Ltd. nor Mr. Vinod Kr. submitted replies to our petition. We have discussed the matter with our advocate; who assured that he will insist for stay in the same.

**\*3. ARM vs. PUTTAPPA & Ors. (10 MEMBERS) CASE\***

The case was not heard on 20-Dec-2023. However, the date has been fixed on 14-May-2024.

-----  
रेवान्ता मेम्बर्स एसोसिएशन  
बुलेटिन-2 दिनांक 29-मई-2023

एल-1 जोन के सदस्य ध्यान दें  
एसडीएम द्वारका द्वारा जारी की गई स्टेटस रिपोर्ट खतरे की घंटी बजा रही है...  
!!!

एल जोन के एक सदस्य के लिए के-1 जोन के 115 सदस्यों की जमीन कुर्क कर दी गई है। एल-जोन के श्री विनोद कुमार अग्रवाल के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिन्होंने 154 अन्य सदस्यों की भूमि में अपना शेयर इन्वेस्ट किया है।

आदेश में कहा गया है कि एसडीएम ने के-1 जोन की जमीन कुर्क कर ली है, जो 115 सदस्यों की है। अगर हम रेरा के आदेश का विरोध नहीं करते हैं तो कुल 269 सदस्यों का भूमि शेयर दांव पर लग गया है।

हमने इस मामले की पैरवी के लिए पहले ही एक वकील को नियुक्त कर लिया है। इसलिए रेरा के आदेश के खिलाफ आवेदन/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आएं।

डॉ परनीता जून,  
सदस्य – एल जोन